केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर–31 चंडीगढ
नीलामी सूचना

दिनांक : 22-03-2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर–31 डी में "जहॉं जैसी स्थिति है" की स्थिति में निष्प्रयोज्य घोषित किए गए कंप्यूटर, फर्नीचर, पुस्तकालय, ऑडियो विसुअल्स, लैब उपकरण, सी एम् पी, कार्यालय उपकरण आदि के सामान की नीलामी दिनांक 29.03.2025 को दोपहर 12:00 बजे से केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर–31 चंडीगढ के परिसर में सक्षम अधिकरी द्वारा गठित कमेटी के समक्ष की जाएगी ।

नीलामी की शर्ते :

1. सभी सामान पुराना, प्रयोग किया हुआ एवं निष्प्रयोज्य है ।
2. उपरोक्त सामान की नीलामी "जहॉं जैसी स्थिति है" के आधार पर की जाएगी ।
3. इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा धरोहर जमानत राशि के रूप में 10,000/– रूपए का रेखांकित चेक/नकद प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर–31 चंडीगढ के कार्यालय में दिनांक को नीलामी के दिन जमा करवान होगा | कंप्यूटर संबंधी समान व् अन्य वस्तुओं के लिए धरोहर जमा अलग-2 लिया जाएगा | जमानत राशि जमा करवाए बिना काई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता ।
4. कंप्यूटर की वस्तुओं के निपटान के लिए इच्छुक recyclers/dismantlers/Pre-processor of e-waste अपने पंजीकरण सम्बन्धी दस्तावेज जमा करवा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं |
5. उपरोक्त सामान को केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर–31 डी चंडीगढ के परिसार में श्री वि के वर्मा से संपर्क करके दिनांक 28.03.2025 को दोपहर 02.00 बजे से देखा जा सकता है ।
6. नीलामी के संबंध में सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा तथा उसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा ।
7. उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म को अपनी उच्चतम बोली धनराशि तुरंत बोली स्थल पर ही नगद प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर–31 चंडीगढ को जमा करवानी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि राजहित में जब्त कर ली जाएगी ।
8. नीलामी स्वीकृति के उपरांत उच्चतम बोली को छोड़कर शेष अन्य बोलीदाताओं/फर्मो की धरोहर राशि नीलामी के पश्चात तुरंत वापस कर दी जाएगी ।
9. निर्धारित मूल्य से कम बोली नीलामी समिति को मान्य नहीं होगी ।
10. उच्चतम बोलीदाता को पूर्णराशि जमा करवाने के बाद ही सामन ले जाने का अधिकार होगा और दो दिनों के अन्दर सभी सामान बोलीदाता को उठाना अनिवार्य होगा ।
11. केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी व उनके रिश्तेदार संबंधी बोली प्रकिया में भाग नहीं लेंगे |
12. केवल वास्तविक क्रेता को ही विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी |

उपरोक्त सभी शर्तो के पालन के लिए बोलीदाता व्यक्ति/फर्म बाध्य होंगे ।

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
सैक्टर–31 चंडीगढ़